

(167)



न्यायालय मानसीय राजरघ मण्डल मध्यपूर्वेष्टा, ग्रामिण

पुकरण क्रमांक /2014 फरवरीजन F 4264-III/14

संचालक  
दृष्टि

छत्तीवेदन

श्रीमान शुभेश चौकटी  
आप दिनांक 23-12-14  
पुस्तक - कृष्ण गांगा  
23-12-14

महिला हुंडा पुत्री गांगीरथ पत्नी राजाराम  
गुप्ताह आय 75 साल, एवं वाय लोती,  
निवासी ग्राम पर्सिपा अहीर परगना पोहरी  
जिला शिवायपुरी मध्यपूर्वेष्टा --- पुनरीक्षाकालीन  
बनाम

मध्यपूर्वेष्टा शासन द्वारा क्लॉक्टर जिला शिवायपुरी  
मध्यपूर्वेष्टा --- --- पुत्यर्थी

C 1  
23-12-2014

पुनरीक्षा अन्तर्गत धारा 50 मध्यपूर्वेष्टा भू-राजस्व सीक्ता  
1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 3-12-2014 जो न्यायालय  
अपर क्लॉक्टर जिला शिवायपुरी मध्यपूर्वेष्टा ने पुकरण क्रमांक  
22/14-15/वी-12। व उन्हाम हुंडा बनाम मध्यपूर्वेष्टा शासन  
में पारित किया गया, को अमारत लिये जाने बाबत ।

श्रीमान महोदय,

पुनरीक्षाकालीन की ओर से पुनरीक्षा सादर पुरस्त है :-

सीक्तपत्र तथा :-

11। यहीकि, वर्तमान पुकरण के लिये पुनरीक्षाकालीन का शाजरा  
छानदाम निम्न पुकार है :-

भागीरथ गुप्ता।

हुंडा पुत्री।

लप्ति पुत्री मृत

हुंडा पुत्री मृत बसन्त पुत्री

अपने प्राता पिता के  
जीवनकाल में निस्तीर्ण  
मृत  
शोष 2 पर

काली (राज.)  
काली (राज.)

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक –निगरानी–4264–तीन / 2014

जिला–शिवपुरी

महिला बुंदा विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों हस्ताक्षर
28–05–2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री राजीव रघुवंशी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–शिवपुरी प्रकरण क्रमांक 22/2014–15/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 03–12–2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपरित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत इस निगरानी को सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15–07–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(आरोक्त जैन) ३१/८/१९ सदस्य</p> <p style="text-align: left;">32</p>	